फार्म संख्या: ....

कार्यालय –महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ–226202

दूरभाष– 05212–298209, 298291 फैक्स–05212–298291

सुरक्षा सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

मूल्य रूप 1000/– मात्र
(नान रिफन्डेबुल)

नोटः– केवल मांगी गयी सूचनायें/अभिलेख निर्धारित क्रम में ही संलग्न करें। अनावश्यक अभिलेख निविदा के साथ संलग्न न करें।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुसूची–1

निविदा प्रपत्र
(तकनीकी विड)

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

विषयः संस्थान परिसर में सुरक्षा हेतु निविदा संख्या ....दिनांक ....के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित वांछित सूचनायें निम्नवत् हैं :–

1. (क) निविदादाता फर्म/संस्था का पूरा नाम एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता

   ....

   (ख) पत्राचार का पता..

   ....

2. निविदादाता फर्म/संस्था का टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/ई–मेल

   ....

   ....

3. फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम जो फर्म की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो।

   ....

   ....

   ....

4. (1) आयकर संबंधी पैन संख्या ....(छाया प्रति संलग्न करें)।
   (2) लाइसेंस न0 ....(छाया प्रति संलग्न करें)।
   (श्रम आयुक्त द्वारा जारी)
   (3) ई0पी0एफ0 खाता संख्या ....(छाया प्रति संलग्न करें)।
   (4) ई0एस0आई0 पंजीकरण संख्या ....(छाया प्रति संलग्न करें)।
5. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या ....(छाया प्रति संलग्न करें)।

6. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र ....(छाया प्रति संलग्न करें)।

7. उ0प्र0 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण, नियमावली– 2009, उ0प्र0 सरकार प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति "प्रारूप–6" पर (छाया प्रति संलग्न करें)।

8. विगत तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर ।

वर्ष	वार्षिक टर्न ओवर (रू0 में)
2013–14	
2014–15	
2015–16	

9. सुरक्षा कार्य का अनुभव (विगत 03 वर्षो का)

वर्ष	सम्पादित मुख्य कार्यो का संक्षिप्त विवरण (विस्तृत अभिलेख संलग्न करें)
2013–14	
2014–15	
2015–16	

10. यदि सरकारी विभागों में सुरक्षा सेवाएं दिये है अथवा दे रहे हैं, तो वहां से सेवा संतुष्टीकरण प्रमाण–पत्र ....(छाया प्रति संलग्न करें)।

5. (1) निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1000/–का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0.................................. दिनांक ....

(2) निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी रू0 10,000/– डिपाजिट (ई0एम0डी0) के रूप में "महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट विवरण :–

1. ड्राफ्ट नं0 ....

2. दिनांक ....

3. धनराशि ....

4. देय : लखनऊ

मैंने /हमने महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को भली–भाँति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूं/करते हैं।

उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप (वित्तीय विड) पर अपनी दरें समस्त करों सहित (जो प्रचलन में हो) अलग सीलबन्द लिफाफे में तथा (ई0एम0डी0) के रूप में धनराशि रू0 .... ड्राफ्ट सं0............................ दिनांक .... के साथ प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर ....
निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
....
....

अनुसूची–2

निविदा प्रपत्र

(वित्तीय विड)

मैं/हम महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ....के संदर्भ/विषय ....में निविदा में उल्लिखित कार्य/शर्तों को भलीभाँति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूं/करते हैं।

प्रतिदिन अधिकतम् 03 शिफ्ट/24 घंटे तक संस्थान परिसर की सुरक्षा करने की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, न्यूनतम वेतन, सेवा शुल्क, सेवाकर इत्यादि सहित श्रम आयुक्त कार्यालय उ0प्र0, जी0टी0रोड, कानपुर द्वारा नवीनतम शासनादेश के अनुसार निम्न प्रकार होगी:–

क्र0 स0.	सुरक्षा व्यवस्था का विवरण	न्यूनतम मजूदरी मजदूरी अधिनियम–1948 के अनुसार प्रतिमाह (30 दिन) (मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, रिलीविंग चार्जेज)	फर्म/संस्था के सर्विज चार्ज/लाभांश (प्रतिशत में)	सर्विस टैक्स (15 प्रतिशत) समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर	कुल योग
[illegible]	[illegible]	3	4	5	[illegible]
1	सुरक्षा गार्ड (8 घंटे हेतु/प्रतिदिन)	10179.33		15 प्रतिशत	
2	गनमैन (08 घंटे हेतु/प्रतिदिन)	11197.27		15 प्रतिशत	

नोट :–

1. फर्म/संस्था द्वारा केवल सर्विस चार्ज वित्तीय बिड में अंकित किया जाना है यदि कोई फर्म या संस्था सर्विज चार्ज शून्य प्रतिशत कोट करता है तो वह मान्य नहीं होगा तथा वह निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

2. सुरक्षा कर्मियों के ई०पी०एफ०/जी०पी०एफ०, ई०एस०आई० तथा अन्य कटौतियाँ एजेन्सी/संस्था द्वारा श्रम आयुक्त, उ०प्र० के एक्ट एण्ड रूल्स के अनुसार की जाएगी तथा इसकी शत–प्रतिशत जिम्मेदारी संस्था/एजेन्सी की होगी। संस्था द्वारा किये गये समस्त प्रकार के भुगतान/कटौतियां का विवरण दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. कुल योग धनराशि के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान एजेन्सी/संस्था को नहीं किया जायेगा।
4. एजेन्सी/संस्था द्वारा वित्तीय विड की तालिका को ही पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करना होगा, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन स्वीकार नहीं होगा।
5. चयनित संस्था को माह के सभी दिनों तथा चौबीसों घण्टे अपनी सेवाएं देनी होगी।

हस्ताक्षर ....

निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

....

मुहर...

अनुलग्नक–1

निविदाः विवरण / शर्ते

1. सुरक्षा एजेन्सी, उ0प्र0 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली–2009 के अन्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा पंजीकृत हो।
2. एजेन्सी ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 जैसे वैधानिक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
3. सुरक्षा गार्डो का चरित्र एवं पूर्व कार्यकलापों का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा करा लिया गया हो।
4. एजेन्सी को किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार कार्यालय / उपकम / प्रतिष्ठान में सुरक्षा सेवा प्रदान करने का अनुभव हो।
5. निविदा फार्म, निविदा की शर्ते एवं कार्य विवरण दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के बेवसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म व शर्ते बेवसाइट से डाउनलोड कर फर्म द्वारा टेण्डर प्रस्तुत करते हुए महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के पक्ष में रू0 1000/–का डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ में संलग्न किया जायेगा। निविदा फार्म रू0 1000/–का डिमाण्ड ड्राफ्ट दे करके कार्यालय से कार्य दिवस में भी प्राप्त किया जा सकता है।
6. निविदा मुहरबन्द लिफाफों में उपलब्ध करायी जायेगी। निविदा के दो भाग होंगे। निविदा के प्रथम भाग में **"तकनीकी निविदा (अनुसूची–1)"** मुहरबन्द लिफाफे में तथा निविदा भाग–दो में **"वित्तीय निविदा (अनुसूची–2)"** मुहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग रखकर उन दोनों को मुहरबन्द लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द किया जायेगा। तकनीकी निविदा की आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की स्थिति में ही सम्बन्धित की वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। बड़े लिफाफे के ऊपर निविदा जिसके लिए डाली जा रही है, उसका उल्लेख तथा जिसको भेजना है, उसका सम्बोधन व पता अनिवार्य होगा।

7. संस्थान परिसर की अधिकतम 3 शिफ्ट/24 घंटे सुरक्षा करने हेतु दिनांक 29.05.2017 से दिनांक 07.06.2017 तक अपराहन् 06:00 बजे तक निविदा फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं। इस तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. निविदा दिनांक 07.06.2017 को अपराहन् 12:30 बजे तक संस्थान में नियत स्थान/बाक्स में डाली जा सकती है। तद्दिनांक अपरान्ह 03.00 बजे निविदा समिति के सम्मुख संस्थान के प्रशासनिक भवन में स्थित गोष्ठी कक्ष–03 में खोली जायेगी।

9. निविदा के साथ अर्नेस्टमनी डिपाजिट के रूप में रू0 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाय। बिना अर्नेस्टमनी डिपाजिट के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

10. अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी डिपाजिट की धनराशि निविदा खुलने के तीन माह के भीतर लौटा दी जायेगी।

11. फर्म/प्रतिष्ठान का आयकर पंजीकरण प्रमाण–पत्र निविदा के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

12. टेण्डर खोलते समय निविदादाताओं द्वारा आयकर/व्यापार कर की मूल प्रति मिलान/परीक्षण के लिए साथ लाना अनिवार्य होगा।

13. निविदादाता को कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव चाहिए।

14. यह कार्य निविदा, कार्य अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। निविदा में दिये गये मानक की दरें ही मान्य होगी।

15. सफल निविदादाता के द्वारा रू0 50,000/–सिक्योरिटी डिपाजिट्स के रूप में रेखांकित एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट या एफ0डी0आर0 जो कि "महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय हो, जमा किया जायेगा। उक्त सिक्योरिटी डिपाजिट्स को अनुबन्ध अवधि में संतोषजनक कार्य की समाप्ति के उपरान्त निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा। उक्त

सिक्योरिटी डिपाजिट्स की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा में सफल निविदादाता द्वारा अर्नेस्ट मनी डिपाजिट्स की धनराशि को सिक्यारिटी डिपाजिट्स में समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को जमा किया जा सकेगा। किसी भी क्षति होने पर उसकी पूर्ति सिक्योरिटी डिपाजिट धनराशि से कर ली जाएगी।

16. कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त वांछित कार्य प्रारम्भ करना होगा।

17. बिलों का भुगतान कार्य परीक्षण के पश्चात् किया जायेगा।

18. फर्म द्वारा लगाये जाने वाले गार्ड/गनमैन का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराना आवश्यक होगा तथा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणित प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सुरक्षाकर्मी को निर्धारित यूनीफार्म में ही रहना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक कर्मी के पास परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा, जो उसे ड्यूटी पर हमेशा डिस्प्ले करेंगे। उक्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा धारित किसी अवैधानिक कृत्य की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/संस्था की होगी और ऐसे सुरक्षा कर्मी को तुरन्त हटाकर उसके उचित प्रतिस्थानी की व्यवस्था संबंधित फर्म/संस्था द्वारा की जायेगी।

19. निविदा की शर्तों के अनुरूप कार्य न होने पर मासिक बिल की धनराशि से पेनाल्टी स्वरूप 30 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है। इसके बाद भी सुधार न होने पर उक्त कार्य आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

20. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।

21. किसी भी फर्म/संस्था द्वारा निविदा डालने पर यह मान लिया जायेगा कि फर्म को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

22. प्रत्येक फर्म /संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक सुरक्षा कानून एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1984 की सभी धाराओं का एवं

श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों व निर्देशों का पालन करेगी तथा उसकी अवहेलना पर वह स्वयं उत्तरादायी होगी।

23. फर्म/संस्था को अनुलग्नक 1 व 2 में उल्लिखित सुरक्षा से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादित करने होंगे। मासिक बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु समय से प्रस्तुत करना होगा।

24. अनुमन्य दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। संतोषजनक सेवा की स्थिति में महानिदेशक, संस्थान द्वारा उक्त अवधि को आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

25. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र दर–अनुबन्ध की निविदा है । अतः निविदा फर्म के सुरक्षा कर्मियों के समायोजन या श्रमिक कानूनों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरादायित्व संबंधित निविदादाता फर्म/संस्था का होगा। संस्थान उसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरादायी नहीं होगा।

26. कोई भी सुरक्षाकर्मी स्थानीय नहीं होगा। प्रत्येक तीन माह पर इन्हें बदलते रहना होगा।

27. संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति/घटना होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कार्यदायी सुरक्षा एजेंन्सी को करनी होगी।

28. फर्म/संस्था द्वारा वित्तीय बिड में केवल सर्विज चार्ज की दरें कोट किया जाना होगा यह भी उल्लिखित किया जाता है कि यदि फर्म/संस्था द्वारा सर्विस चार्ज शून्य प्रतिशत कोट किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा तथा वह निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

29. संस्थान के महानिदेशक का किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

सुरक्षा अनुभाग के कार्य

1. संस्थान परिसर तथा आपदा प्रबन्धन केन्द्र परिसर के सभी भवनों तथा सम्पत्तियों की सुरक्षा करना।
2. किसी समान की चोरी होने पर अथवा किसी भी घटना/दुर्घटना होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कार्यदायी सुरक्षा एजेन्सी से की जायेगी।
3. सभी सुरक्षाकर्मी प्रापर यूनीफार्म में समय से उपस्थित हो करके संस्थान के सभी स्थानों एवं चल–अचल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करेंगे।
4. किसी सुरक्षा कर्मी के देरे से आने या अनुपस्थित होने अथवा सोते हुए पाए जाने अथवा आपत्तिजनक स्थिति में पाये जाने पर उसका पारिश्रमिक काटते हुए उसे दण्ड भी दिये जायेगें, दूसरे शिफ्ट के सुरक्षा कर्मी के आने के बाद ही पहले शिफ्ट के सुरक्षा कर्मी द्वारा परिसर छोड़कर जाना होगा।
5. किसी कर्मी के अनुपस्थित होने पर उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कार्यदायी सुरक्षा एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
6. कार्यदायी एजेन्सी द्वारा प्रत्येक गनमैन एवं सुरक्षा गार्ड्स की गतिविधियों द्वारा दिए गये निर्देशों का सुरक्षा कर्मी पालन करेंगे, ऐसा न करने पर अनुशासनहीनता माना जाएगा।